न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः— 65 / 2022
दायर दिनांकः— 09.06.2022
निर्णय दिनांकः— 23.06.2022

उनवान

1. श्री चान्दमल पिता बाबुलाल ब्राहम्मण निवासी कांकरवा।
2. श्री पुरणमल पिता बाबुलाल ब्राहम्मण निवासी कांकरवा।
3. श्रीमती भुरीबाई पत्नी स्व0 बाबुलाल ब्राहम्मण निवासी कांकरवा।
4. श्रीमती माया पुत्री बाबुलाल ब्राहम्मण निवासी कांकरवा।
5. श्री राजाराम पिता बाबुलाल ब्राहम्मण निवासी कांकरवा।
6. श्री लादूलाल पिता बाबुलाल ब्राहम्मण निवासी कांकरवा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मोहनसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी कांकरवा।
2. श्री रघुवीरसिंह पिता जसवन्तसिंह राजपूत निवासी कांकरवा।
3. श्री कमलसिंह पिता जसवन्तसिंह राजपूत निवासी कांकरवा।
4. श्री छोटूसिंह पिता रामसिह राजपूत निवासी कांकरवा।
5. श्री कल्याणसिंह पिता भैरूसिह राजपूत निवासी कांकरवा।
6. श्री मांगीलाल पिता भैरूलाल गाडरी निवासी कांकरवा।
7. श्री तुलसीराम पिता टेका सालवी निवासी कांकरवा।
8. श्री भगवानलाल पिता मांगीलाल कीर निवासी कांकरवा।
9. श्री डालू पिता तेजा तेली निवासी कांकरवा।
10. श्री चून्नीलाल पिता जमनालाल शर्मा निवासी कांकरवा।
11. तेजसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी कांकरवा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नही। बार—बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अर्न्तगत धारा—128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500—रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **कांकरवा** पटवार हल्का **कांकरवा** तहसील भूपालसागर की **आराजी संख्या 2312 रकबा 0.74 है आ0सं0 2315 रकबा 0.07 है. आ0सं0 2316 रकबा 0.56 है. आ0सं0 2317 रकबा 0.36 है. आ.सं 2318 रकबा 0.60 है. आ.स. 2319 रकबा 0.05 है. आ.से. 2320 रकबा 0.06 है. आ.सं. 2321 रकबा 0.36 है. आ.सं. 2546 रकबा 0.26 है..** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस [illegible] तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **23.06.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.27 12:27:28 IST
Reason: SelfAttested

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

F:\cort all files\प्रशासन गोवों के संग\128 decesion.docx